Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. V, Issue No. X, April-2013, ISSN 2230-7540

ग्रामीण विकास में पंचायती राज के महिला प्रतिनिधियों की भूमिका

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. V, Issue No. X, April-2013, ISSN 2230-7540

ग्रामीण विकास में पंचायती राज के महिला प्रतिनिधियों की भूमिका

Ravindra Kumar Sharma*

Research Scholar, Department of Political Science, Lalit Narayan Mithila University, Kameshwaranagar, Darbhanga, Bihar

सार - बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास बहुत प्राचीन है। समय-समय पर इन संस्थाओं में उतार-चढ़ाव आते रहें हैं। प्रदेश में समय-समय पर इन संस्थाओं ने रचनात्मक कार्य किये एवं इनको शक्तियाँ प्रदान करने की दिशा में ठोस निर्णय लिए गए। वर्षों तक इन संस्थाओं के चुनाव न करवाकर इन्हें प्रशासकों के हवाले से चलाया जाता रहा।

----------X----------

1993 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं राज्य ने भी केन्द्र की मंशा के अनुरूप 1994 में पंचायती राज पारित अधिनियम लागू किया गया। 73 वें संविधान संशोधन के बाद से राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्री, ग्रामीण विकास एवं विकेन्द्रीकरण में रूचि रखने वाले विद्वानों एवं शोधार्थियों का ध्यान अचानक इन संस्थाओं की ओर आकर्षित हुआ है। प्रदेश में नवीन पंचायती राज व्यवस्था लागू हाने के बाद इन संस्थाओं पर बहुत कार्य हुआ है तथा इन संस्थाओं से सम्बन्धित कई पुस्तकें प्रकाश में आई है। लेकिन ज्यादातर अध्ययन अथवा पुस्तकों का सम्बन्ध पंचयती राज से सम्बन्धित नवीन आयामों, तथा इनका प्रशिक्षण व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण, आरक्षण व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय आदि से रहा है।

प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गाँधी की परिकल्पना को साकार करते हुए संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर सभी वर्गों की महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। यह अधिनियम इन संस्थाओं का महत्व बढ़ाने के साथ-साथ समाज के महिलाओं को आरक्षण के फलस्वरूप राजनैतिक नेतृत्व प्राप्त हुआ एवं इनमें अपने अधिकार तथा राजनैतिक दृष्टि से चेतना जागृत हुई। इन प्रावधानों के कारण महिला वर्ग हजारों की संख्या में पंचायती-राज संस्थाओं में निर्वाचित होकर आने लगे हैं। ये पंचायती राज प्रतिनिधि अपने दयनीय समाज की दशा को सुधारने में सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं।[1]

इस प्रकार वर्तमान में, जबकि प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों की भूमिका वर्तमान में सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में विशेष महत्वपूर्ण हो गई है, ये प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में नियम निर्माता, निर्णयकत्र्ता, पथ प्रदर्शक, जागरूक समाज सेवक एवं सजग जनप्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन उनकी राजनीतिक सह-भागिता लगभग नगण्य रही है। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक समता और न्याय, आर्थिक विकास और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन को नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है। इसी क्रम में पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे प्रयासों का प्रमुख घटक है। भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये हैं। अनुच्छेद 243 (द) (3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनु0 243 (द) के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित करना है जिससे इन्हीं वर्गों की महिलाओं हेतु ऐसे स्थानों के एक तिहाई स्थान आरक्षित रहे।

महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण से समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी का अवसर मिला है। सम्पूर्ण महिला वर्ग के भी वर्गों के आधार पर महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में गहरा

www.ignited.in

अन्तर है। अतः आधुनिक भारत को, खासकर ग्रामीण संरचना को, समझने हेतु महिला नेतृत्व के उद्भव और उनके मूल्यों, विचारों तथा बदले जीवन प्रतिमानों को जानना एवं समझना बहुत जरूरी हैं।[2]

नवीन पंचायती राज व्यवस्था महिला नेतृत्व के लिए किस प्रकार लाभदायक है? इस व्यवस्था से महिलाओं की दशा में क्या सुधार आया है? महिला नेतृत्व किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आया है? उसकी पंचायती राज के क्रियान्वयन में कैसी भूमिका है तथा राजनैतिक दृष्टि से उनकी चेतना का स्तर क्या है? इन समस्त मूल प्रश्नों के हल इस अध्ययन के माध्यम से खोजने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिकाः

देश के किसी भी राज्य में असंगठित मजदूरी के क्षेत्र में महिलाओं को समान कार्य के लिए समान मजदूरी नहीं मिल रही है। असंगठित खेतिहर मजदूरों की मजदूरी दर का देश का औसतर पुरूषों के लिए 3.25 तथा महिलाओं के लिए 2.35 है। केन्द्रीय मंत्रालय की संसदीय उप समिति ने यह पाया कि बिहार तथा मध्य प्रदेश में खेतिहर महिला मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है।

श्रीमति इलाभट्ट की अध्यक्षता में गठित आयोग ने भी यह स्वीकार किया कि सरकारी स्तर पर भी महिला मजदूरों का शोषण हो रहा है। असंगठित क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने वाली महिला मजदूरों पर कानून नाम मात्र को लागू होते हैं ठेके पर काम करने वाले मजदूरों में महिलाओं की हालत और भी खराब है। उन्हें पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है तथा कोई भी श्रमिक कल्याण सम्बन्धी सुविधा नहीं मुहैया कराई जाती है। ठेकेपर ज्यादातर मजदूर सरकारी काम जैसे, रेलवेज, पथ निर्माण विभाग, खनन आदि कार्यों में लगे हुए हैं। समान कार्य हेतु महिलाओं को कम मजदूरी देने की प्रथा अविलम्ब बन्द करने की सलाह आयोग ने दी है।

आयोग ने इस बात को गलत बताया है कि गरीब परिवार में कमाई करने वाला, परिवार का पुरूष मुखिया होता है। उसने आगे कहा है कि 40 प्रतिशत परिवार औरतों की कमाई पर जीते हैं। 94 प्रतिशत महिलाएँ काम करती हैं। वस्तुतः प्रत्येक महिला एक कामगार है। आयोग ने राज्यों में महिला कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन एवं मूल्याकंन का उत्तरदायित्व वित्तीय आयुक्त स्तर के एक अधिकारी को सौंपे जाने तथा महिला उद्यमियों एवं कुटीर उद्योगों को आसान एवं सस्ता कर्ज देने के लिए विशेष- संस्थान बनाए जाने की संस्तुति की है।[3]

महिलाओं की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में विभिन्न महिला संगठन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को असंगठित क्षेत्रों में ही रोजगार तलाशने को कहा गया है,जबकि पहले से ही इन क्षेत्रों में महिलाओं की हालत खराब है। देश में कार्यरत कुल कामकाजी महिलाओं में से 89 प्रतिशत महिलाएँ खेती, पशुपालन, डेयरी, हथकरघा, पत्थर, खादान आदि असंगठित क्षेत्रों में लगी हुई पिछड़ी जातियों की ग्रामीण महिलायें प्रायः परम्परागत पेशे में ही लगी रहती हैं। यदि इन्हीं पेशों को आधुनिक तकनीकों के आधार पर चलाया जाये तो उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। इसके लिए यदि बैंकों द्वारा आसान किश्तों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय तो महिलाओं का बेहतर आर्थिक विकास किया जा सकता है।

भारतीय ग्रामीण महिलायें कर्म को प्रधानता देती है। वास्तव में कर्म ही उनके जीवन की स्थिति है। इसीलिए उनकी सम्पूर्ण दिनचर्या परिश्रम पर आधारित होती है, जिसको वे गर्व के साथ सहर्ष स्वीकार करती हैं। कार्यों के स्वाभाविक बंटवारे द्वारा परिवार की गाड़ी बड़े ही ताल-मेल से चलती हैं। ग्रामीण महिलायें सुल अंधेरे से देर रात तक अनवरत रूप से काम में लगी रहती हैं। खाना बनाने जैसे घरेलू काम फुर्ती से निपटा कर घर-परिवार की आमदनी से जुड़े कार्यों को तन्यमता के साथ करती है। इन महिलाओं के अथक परिश्रम को देखकर लगता है कि गाँवों की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी महिलायें हैं। ग्रामीण जीवन के सभी अंगों में महिलाओं की बराबर की भागीदारी दिखायी देती है।[4]

संवैधानिक समानता के बावजूद राजनीतिक प्रक्रिया से अभी भी महिलायें अलग है। समय-समय पर वोट डालने के अलावा चुनाव प्रक्रिया या नीति निर्धारण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित रही है। लोकतांत्रिक व्यवसथा को बनाने एवं उसे ज्यादा कारगर ढंग से चलाने के लिए महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी दिया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विगत आम चुनावों में महिलाओं की संख्या पुरूष मतदाताओं से 10-11 प्रतिशत कम होना अपनी व्यथा कथा स्वयं स्पष्ट करता है।

यह अध्ययन पंचायती राज महिला नेतृत्व की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, पंचायती राज का क्रियान्वयन तथा राजनीतिक अभिरूचि एवं सजगता से सम्बन्धित है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि लगभग दो तिहाई नेतृत्व 31 से 50 के मध्य की आयु वर्ग का है। शत-प्रतिशत उत्तरदात्री विवाहित है तथा 37.50 प्रतिशत उत्तरदात्री संयुक्त परिवारों से है। परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से लगभग 34.37 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार 6 से 8 सदस्यों वाला है जबकि 40.63 प्रतिशम के परिवार के सदस्यों की संख्या 1 या इससे अधिक है। शैक्षणिक स्तर की

दृष्टि से लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा निरक्षर या मात्र साक्षर है। जहाँ तक उत्तरदात्रियों के जीवन साथियों के शैक्षणिक स्तर का प्रश्न है, लगभग 90.90 प्रतिशत जीवन साथी शिक्षित है।

व्यावसायिक दृष्टि से लगभग 59.10 प्रतिशत उत्तरदात्री गृहणी है, जबकि 31.25 प्रतिशत कृषि मजदूरी या अन्य प्रकार की मजदूरी करके अपना जीवनयापन करती हैं। वार्षिक आय की दृष्टि से लगभग 59.36 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की आय 20000 रूपए कम है तथा शेष की अधिक आयु लगभग 81.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पास पक्के एवं कच्चे दोनों प्रकार के मिश्रित मकान है।

महिला नेतृत्व की सामाजिक स्थिति

आर्थिक पृष्ठभमि महिलाओं की वास्तविक स्थिति का ही प्रतिनिधित्व करती है। नेतृत्व में उभरकर आया वर्ग, इस वर्ग के शीर्षस्थ अथवा किसी विशेष समूह का प्रतिनिधित्व न करते हुए महिला वर्गों का ही सही अर्थों में प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह महिला नेतृत्व के लिए शुभ संकेत है कि अभी तक इस वर्ग के भीतर नेतृत्व में विशेषीकृत परिवारों अथवा समूहों ने अपना वर्चस्व नहीं बनाया है।[5]

पंचायती राज का क्रियान्वयन एवं महिला नेतृत्व सम्बन्धी विश्लेषण निष्कर्षतः यह स्पष्ट करता है कि 62.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को ग्रामसभा की बैठक तथा इसकी गणपूर्ति के बारे में सही जानकारी है। गरीबी उन्मूलन हेतु लाभार्थियों का चयन, ग्रामीण विकास की योजना बनाना, ग्राम की समस्याओं पर विचार-विमर्श करना/सुलझाना आदि ग्रामसभा के प्रमुख कार्य महिला नेतृत्व द्वारा बताये गये हैं। इसी प्रकार लगभग 93.75 प्रतिशत उत्तरदात्री ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित भाग लेती है। ग्राम पंचायती की बैठकों में अपनी भूमिका के सम्बन्ध में महिला नेतृत्व का कहना है कि वे ग्राम पंचायत के सदस्यों से गाँव की समस्याओं पर चर्चा करती है एवं विभिन्न प्रस्तावों पर अपने विचार प्रस्तुत करती है। 62.50 प्रतिशत उत्तरदात्री ग्राम पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लेती हैं।[6]

महिलाओं ने नेतृत्व को स्वीकार किया है कि पेयजल, सड़क, स्वस्छता व शौचालयों का निर्माण, स्वास्थ्य सुविधा, विद्यूतिकरण, रोड लाइट, राशन प्रणाली का उचित क्रियान्वयन, साक्षरता, आवश्यक भवनों का निर्माण आदि गाँव की प्रमुख समस्याएँ हैं। ग्राम पंचायत में कार्य के दौरान महिला नेतृत्व के समक्ष पुरूष सदस्यों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलना, गाँवों में विद्यमान गुटबाजी, धन की कमी एवं जातीय प्रभुत्व जैसी प्रमुख समस्याएँ आती है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में 68.76% प्रतिशत उत्तरदात्री, लाभार्थियों के चयन के पश्चात् लाभार्थियों द्वारा योजना का उचित क्रियान्वयन हो, इसकी उचित देखभाल समय-समय पर निरीक्षण द्वारा करती है।

अतः इस सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिला नेतृत्व पंचायती राज के क्रियान्वयन में कहीं बहुत प्रभावकारी तो कहीं सामान्य भूमिका निभा रही हैं। परम्परागत रूप से अप्रतिनिधित्व प्राप्त इस वर्ग की कार्य के माध्यम से प्रशिक्षण की प्रक्रिया साढे चैदह वर्षों से सतत् रूप से जारी है। क्रियान्वयन को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु इस वर्ग के नेतृत्व के लिए विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को समझते हुए गम्भीर एवं सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रथों की सूचीः-

1. महिपाल, पंचायती राज: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट 2008 पृ 48-54
2. मिश्रा, नन्दलालः नयी पंचायत राज व्यवसथा और ग्रामीण विकास, आगरा, बी0 एस0 शर्मा एंड ब्रदर्स, 201, पृ- 32-45
3. वाजपेयी, अशोक: पंचायत राज एंड रूरल डवलपमेंट, नई दिल्ली, साहित्य प्रकाशन, 1997, पृ0- 68-74
4. शर्मा, श्रीनाथ तथा सिंह, एम0 के0: पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, बीना, आदित्य पब्लिश्र्स 2000, पृ 786-82
5. तथैव

Corresponding Author

Ravindra Kumar Sharma*

Research Scholar, Department of Political Science, Lalit Narayan Mithila University, Kameshwaranagar, Darbhanga, Bihar

www.ignited.in